कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि और सहकारिता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1775.81	97.51	1873.32	1536.66	118.39	1655.05	1626.47	122.73	1749.20
पूंजी		*189.19*	*0.46*	*189.65*	*155.34*	*10.42*	*165.76*	*358.53*	*0.63*	*359.16*
जोड़		**1965.00**	**97.97**	**2062.97**	**1692.00**	**128.81**	**1820.81**	**1985.00**	**123.36**	**2108.36**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	4.90	24.44	29.34	3.00	23.52	26.52	3.20	24.75	27.95
कृषि कार्य										
बीज										
2. राष्ट्रीय बीज निगम आदि को अनुदान	2401	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	...	...	...
3. अन्य बीज योजनाएं	3601	2.56	...	2.56	1.55	...	1.55	1.25	...	1.25
	2401	17.63	...	17.63	12.95	...	12.95	29.15	...	29.15
	जोड़	*20.19*	*...*	*20.19*	*14.50*	*...*	*14.50*	*30.40*	*...*	*30.40*
जोड़-बीज		**20.24**	**...**	**20.24**	**14.55**	**...**	**14.55**	**30.40**	**...**	**30.40**
खाद्यान्न फसलें										
4. चावल, गेंहू और मोटे अनाजों के लिए मिनिकिट कार्यक्रम	2401	6.96	...	6.96	6.96	...	6.96	6.27	...	6.27
5. एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम-चावल/	2401	1.05	...	1.05	1.04	...	1.04	...	...	...
मोटे अनाज/गेहूं आधारित फसल प्रणाली	3601	16.70	...	16.70	16.30	...	16.30	...	...	...
	3602	...	...	...	0.04	...	0.04	...	...	...
	जोड़	*17.75*	*...*	*17.75*	*17.38*	*...*	*17.38*	*...*	*...*	*...*
6. त्वरित अनाज विकास कार्यक्रम-मक्का	2401	2.00	...	2.00	0.60	...	0.60	2.00	...	2.00
	3601	4.00	...	4.00	3.20	...	3.20	3.50	...	3.50
	जोड़	*6.00*	*...*	*6.00*	*3.80*	*...*	*3.80*	*5.50*	*...*	*5.50*
7. गेहूं और दालों के लिए स्कीम	2401	...	...	...	...	...	...	0.15	...	0.15
मध्य भारत में उत्पादन	3601	...	...	...	...	...	...	0.35	...	0.35
	जोड़	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
8. जूट पर प्रौद्योगिकी मिशन	2401	...	...	...	...	...	...	0.12	...	0.12
	3601	...	...	...	...	...	...	0.88	...	0.88
	जोड़	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
9. खाद्यान्न फसलों की अन्य योजनाएं	2401	...	0.86	0.86	...	0.49	0.49	...	0.70	0.70
जोड़-खाद्यान्न फसलें		**30.71**	**0.86**	**31.57**	**28.14**	**0.49**	**28.63**	**13.27**	**0.70**	**13.97**
10. दालों का विकास	3601	20.68	...	20.68	20.96	...	20.96	15.86	...	15.86
	2401	8.83	0.50	9.33	8.93	0.28	9.21	12.33	0.36	12.69
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*29.52*	*0.50*	*30.02*	*29.90*	*0.28*	*30.18*	*28.20*	*0.36*	*28.56*
खाद्य और उर्वरक										
11. *खाद और उर्वरक की अन्य योजनाएं*										
11.01 जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग	2401	2.63	...	2.63	2.30	...	2.30	2.04	...	2.04
संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	3601	1.80	...	1.80	1.70	...	1.70	0.56	...	0.56
	4401	1.51	...	1.51	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*5.94*	*...*	*5.94*	*4.00*	*...*	*4.00*	*3.60*	*...*	*3.60*
11.02 उर्वरकों का संतुलित प्रयोग	2401	0.06	...	0.06	0.02	...	0.02	...	...	...
	3601	3.67	...	3.67	2.27	...	2.27	...	...	...
	3602	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...
	जोड़	*3.73*	*...*	*3.73*	*2.79*	*...*	*2.79*	*...*	*...*	*...*
11.03 अन्य कार्यक्रम	2401	2.15	...	2.15	1.76	...	1.76	1.80	...	1.80
	4401	0.10	...	0.10	0.07	...	0.07	...	...	...
	जोड़	*2.25*	*...*	*2.25*	*1.83*	*...*	*1.83*	*1.80*	*...*	*1.80*
जोड़-खाद और उर्वरक की अन्य योजनाएं	**जोड़**	**11.92**	**...**	**11.92**	**8.62**	**...**	**8.62**	**5.40**	**...**	**5.40**
जोड़-खाद और उर्वरक		***11.92***	***...***	***11.92***	***8.62***	***...***	***8.62***	***5.40***	***...***	***5.40***
12. पौध संरक्षण	3601	0.70	...	0.70	0.60	...	0.60	1.10	...	1.10
	3602	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...
	2401	13.85	11.83	25.68	11.85	11.62	23.47	13.20	12.09	25.29
	4401	6.06	...	6.06	11.61	...	11.61	5.50	...	5.50
	जोड़	*20.61*	*11.83*	*32.44*	*24.16*	*11.62*	*35.78*	*19.80*	*12.09*	*31.89*
वाणिज्य फसलें										
13. तेलहन उत्पादन कार्यक्रम	3601	68.25	...	68.25	64.85	...	64.85	66.20	...	66.20
	2401	8.48	0.38	8.86	13.50	0.45	13.95	13.00	0.50	13.50
	जोड़	*76.73*	*0.38*	*77.11*	*78.35*	*0.45*	*78.80*	*79.20*	*0.50*	*79.70*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	बजट 2000-2001 आयोजना-भिन्न	बजट 2000-2001 जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	संशोधित 2000-2001 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2000-2001 जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	बजट 2001-2002 आयोजना-भिन्न	बजट 2001-2002 जोड़
14. राष्ट्रीय तेलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	2401	6.00	...	6.00	6.60	...	6.60	5.00	...	5.00
15. तेलहनों और दालों में पश्च फसल प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास	2401	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
16. गहन कपास विकास कार्यक्रम	3601	64.05	...	64.05	25.92	...	25.92	36.97	...	36.97
	2401	0.55	0.59	1.14	13.08	0.30	13.38	4.03	0.45	4.48
	जोड़	*64.60*	*0.59*	*65.19*	*39.00*	*0.30*	*39.30*	*41.00*	*0.45*	*41.45*
17. ऑयल पाम विकास कार्य	2401	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.15	...	0.15
	3601	14.60	...	14.60	6.76	...	6.76	9.70	...	9.70
	Total	*14.84*	*...*	*14.84*	*7.00*	*...*	*7.00*	*9.85*	*...*	*9.85*
18. जल प्रबंध	3601	44.00	...	44.00	0.01	...	0.01	20.00	...	20.00
	2401	0.10	...	0.10	...	...	...	41.00	...	41.00
	जोड़	*44.10*	*...*	*44.10*	*0.01*	*...*	*0.01*	*61.00*	*...*	*61.00*
19. वर्षासिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल	3601	38.00	...	38.00	97.46	...	97.46	...	...	...
संभरण विकास कार्यक्रम	2401	0.50	...	0.50	0.39	...	0.39	...	...	...
	7601	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	...	...	...
	जोड़	*55.50*	*...*	*55.50*	*114.85*	*...*	*114.85*	*...*	*...*	*...*
20. जल संभरण विकास परिषद	2401	1.35	...	1.35	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
21. अन्य वाणिज्यिक फसलें										
21.01 अन्य कार्यक्रम	2401	0.04	1.86	1.90	...	1.49	1.49	0.23	1.67	1.90
जोड़-अन्य वाणिज्यिक फसलें	**जोड़**	**0.04**	**1.86**	**1.90**	**...**	**1.49**	**1.49**	**0.23**	**1.67**	**1.90**
जोड़-वाणिज्यिक फसलें		***271.16***	***2.83***	***273.99***	***254.81***	***2.24***	***257.05***	***205.78***	***2.62***	***208.40***
22. बागवानी और सब्जी फसलें	3601	32.18	...	32.18	31.44	...	31.44	0.60	...	0.60
	3602	0.71	...	0.71	0.34	...	0.34	...	...	...
	2401	99.14	1.15	100.29	148.19	1.06	149.25	136.40	1.15	137.55
	4401	0.52	...	0.52	0.24	...	0.24	...	...	...
	जोड़	*132.55*	*1.15*	*133.70*	*180.21*	*1.06*	*181.27*	*137.00*	*1.15*	*138.15*
23. विस्तार और प्रशिक्षण	2401	41.16	5.54	46.70	33.19	5.29	38.48	43.27	5.89	49.16
	4401	2.00	...	2.00	0.05	...	0.05	1.00	...	1.00
	जोड़	*43.16*	*5.54*	*48.70*	*33.24*	*5.29*	*38.53*	*44.27*	*5.89*	*50.16*
फसल बीमा										
24. फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत साधारण बीमा निगम को अदायगी	2401	189.00	...	189.00	150.00	...	150.00	...	...	...
25. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए साधारण बीमा निगम को भुगतान	2401	100.00	...	100.00	139.00	...	139.00	261.21	...	261.21
जोड़-फसल बीमा		***289.00***	***...***	***289.00***	***289.00***	***...***	***289.00***	***261.21***	***...***	***261.21***
कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी										
26. कृषि गणना	2401	3.58	...	3.58	3.58	...	3.58	3.01	...	3.01
	3601	8.30	...	8.30	5.30	...	5.30	7.65	...	7.65
	3602	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.14	...	0.14
	जोड़	*12.00*	*...*	*12.00*	*9.00*	*...*	*9.00*	*10.80*	*...*	*10.80*
27. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं										
27.01 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	2401	...	7.06	7.06	...	6.97	6.97	...	7.15	7.15
27.02 मुख्य फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना	2401	18.25	...	18.25	13.00	...	13.00	17.81	...	17.81
27.03 मुख्य फसलों के क्षेत्रों और उत्पादन	3601	3.70	...	3.70	3.72	...	3.72	4.05	...	4.05
के अनुमानों की सामयिक रिपोर्ट	3602	0.06	...	0.06	0.04	...	0.04	0.05	...	0.05
	जोड़	*3.76*	*...*	*3.76*	*3.76*	*...*	*3.76*	*4.10*	*...*	*4.10*
27.04 कृषि संबंधी सांख्यिकी का संग्रहण	3601	9.22	...	9.22	8.60	...	8.60	9.50	...	9.50
27.05 अन्य कार्यक्रम	2401	7.42	5.80	13.22	4.57	5.64	10.21	5.94	5.73	11.67
	3601	13.71	...	13.71	8.01	...	8.01	10.90	...	10.90
	3602	0.16	...	0.16	0.14	...	0.14	0.15	...	0.15
	जोड़	*21.29*	*5.80*	*27.09*	*12.72*	*5.64*	*18.36*	*16.99*	*5.73*	*22.72*
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं		**52.52**	**12.86**	**65.38**	**38.08**	**12.61**	**50.69**	**48.40**	**12.88**	**61.28**
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी		***64.52***	***12.86***	***77.38***	***47.08***	***12.61***	***59.69***	***59.20***	***12.88***	***72.08***
28. कृषि इंजीनियरी	2401	2.28	4.07	6.35	1.15	3.84	4.99	1.83	4.28	6.11
	3601	3.81	...	3.81	1.84	...	1.84	0.20	...	0.20
	3602	0.06	...	0.06	...	...	...	...	...	...
	4401	1.07	0.46	1.53	0.66	0.42	1.08	1.45	0.63	2.08
	जोड़	*7.22*	*4.53*	*11.75*	*3.65*	*4.26*	*7.91*	*3.48*	*4.91*	*8.39*

सं.1 / कृषि और सहकारिता विभाग

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
29. नेफेड के माध्यम से मूल्य समर्थन/ बाजार हस्तक्षेप प्रचालन को अंशदान	2401	...	1.00	1.00	...	26.00	26.00	...	25.00	25.00
30. सरकारी उद्यमों में निवेश	4401	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
	6401	5.00	...	5.00	5.00	10.00	15.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*5.01*	*...*	*5.01*	*5.00*	*10.00*	*15.00*	*1.00*	*...*	*1.00*
31. फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम										
31.01 विशेष जूट विकास कार्यक्रम	2401	0.12	...	0.12	...	...	...	...	...	...
	3601	0.88	...	0.88	0.88	...	0.88	...	...	...
	जोड़	*1.00*	*...*	*1.00*	*0.88*	*...*	*0.88*	*...*	*...*	*...*
31.02 गन्ने पर आधारित सस्य प्रणाली का स्थायी विकास	2401	0.45	...	0.45	0.04	...	0.04	...	...	...
	3601	1.28	...	1.28	1.12	...	1.12	...	...	...
	3602	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़	*1.75*	*...*	*1.75*	*1.17*	*...*	*1.17*	*...*	*...*	*...*
31.03 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2401	...	9.67	9.67	...	9.67	9.67	...	10.02	10.02
	4401	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*9.67*	*9.67*	*...*	*9.67*	*9.67*	*...*	*10.02*	*10.02*
31.04 अन्य कार्यक्रम	2401	30.29	0.06	30.35	14.44	0.06	14.50	32.30	0.06	32.36
	3601	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.04	...	0.04
	जोड़	*30.50*	*0.06*	*30.56*	*14.65*	*0.06*	*14.71*	*32.34*	*0.06*	*32.40*
जोड़-कृषि कार्य के अन्य कार्यक्रम		**33.25**	**9.73**	**42.98**	**16.70**	**9.73**	**26.43**	**32.34**	**10.08**	**42.42**
जोड़-कृषि कार्य		***958.87***	***4143.83***	***5102.70***	***935.06***	***83.58***	***1018.64***	***841.35***	***75.68***	***917.03***
अन्य कृषि कार्यक्रम										
32. अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
32.01 कीटनाशक अधिनियम का कार्यान्वयन	2070	1.89	3.17	5.06	1.50	3.17	4.67	1.70	3.19	4.89
33. कृषि विपणन	2435	8.90	18.26	27.16	5.97	17.30	23.27	9.14	18.28	27.42
	3601	0.60	...	0.60	0.20	...	0.20	0.08	...	0.08
	4435	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.78	...	0.78
	जोड़	*10.00*	*18.26*	*28.26*	*6.67*	*17.30*	*23.97*	*10.00*	*18.28*	*28.28*
जोड़-अन्य कृषि कार्य		**11.89**	**21.43**	**33.32**	**8.17**	**20.47**	**28.64**	**11.70**	**21.47**	**33.17**
मृदा और जल संरक्षण										
34. नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र और बाढ़ प्रवण क्षेत्र में मृदा-संरक्षण	3601	13.65	...	13.65	13.65	...	13.65	...	...	...
	7601	13.65	...	13.65	13.65	...	13.65	...	...	...
	2402	2.51	0.25	2.76	2.33	0.22	2.55	...	0.30	0.30
	जोड़	*29.81*	*0.25*	*30.06*	*29.63*	*0.22*	*29.85*	*...*	*0.30*	*0.30*
35. अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं										
35.01 अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण तथा मृदा सर्वेक्षण के लिए दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग	2402	6.30	1.02	7.32	6.30	1.02	7.32	7.02	1.16	8.18
	4402	2.70	...	2.70	1.20	...	1.20	0.48	...	0.48
	जोड़	*9.00*	*1.02*	*10.02*	*7.50*	*1.02*	*8.52*	*7.50*	*1.16*	*8.66*
35.02 राष्ट्रीय भूमि संसाधन आयोग	2402	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
35.03 राज्य भू-उपयोग बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	2402	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19	...	...	...
	3601	0.29	...	0.29	0.29	...	0.29	...	...	...
	3602	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01	...	...	...
	7601	0.29	...	0.29	0.29	...	0.29	...	...	...
	7602	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़	*0.87*	*...*	*0.87*	*0.79*	*...*	*0.79*	*...*	*...*	*...*
35.04 क्षारीय भूमि पुनरुद्धार और विकास कार्यक्रम (ई.ए.पी.)	2402	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	1.50	...	1.50
35.05 समस्याग्रस्त क्षेत्रों/मृदा का पुनरुद्धार और विकास	3601	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25	...	...	...
35.06 अन्य कार्यक्रम	2402	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	...	...	...
जोड़- अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं		***32.37***	***1.02***	***33.39***	***30.79***	***1.02***	***31.81***	***10.00***	***1.16***	***11.16***
राज्य आयोजना										
36. झूम कृषि का नियंत्रण	3601	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
जोड़-राज्य आयोजना		**15.00**	**...**	**15.00**	**15.00**	**...**	**15.00**	**15.00**	**...**	**15.00**
जोड़-मृदा और जल संरक्षण		***77.18***	***1.27***	***78.45***	***75.42***	***1.24***	***76.66***	***25.00***	***1.46***	***26.46***
सहकारिता										
37. शिक्षा और प्रशिक्षण	2425	13.88	...	13.88	12.00	...	12.00	13.75	...	13.75

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
38. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम										
38.01 भांडागारण और सहकारी विपणन समितियां	2425	13.00	...	13.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00
	6425	15.05	...	15.05	15.00	...	15.00	17.00	...	17.00
	जोड़	*28.05*	*...*	*28.05*	*25.00*	*...*	*25.00*	*28.00*	*...*	*28.00*
38.02 सहकारी प्रसंस्करण समितियां	6425	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2425	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	1.94	...	1.94
	जोड़	*1.00*	*...*	*1.00*	*0.01*	*...*	*0.01*	*1.94*	*...*	*1.94*
38.03 सहकारी चीनी मिलें	6425	40.00	...	40.00	29.81	...	29.81	25.00	...	25.00
38.04 सहकारी कताई मिलें	6425	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
38.05 अन्य कार्यक्रम	2425	0.25	...	0.25	...	...	...	...	...	...
	6425	1.19	...	1.19	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.44*	*...*	*1.44*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम		***80.49***	***...***	***80.49***	***62.82***	***...***	***62.82***	***62.94***	***...***	***62.94***
39. राज्य भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	6425	69.00	...	69.00	52.00	...	52.00	54.82	...	54.82
40. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7601	1.75	...	1.75	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.75*	*...*	*1.75*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
41. कम विकसित राज्यों में सहकारी ऋण संस्थाएं	7601	0.75	...	0.75	...	...	...	...	...	...
42. सहकारी ऋण संरचना की पुनः स्थापना	3601	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
43. अन्य कार्यक्रम-सहकारिता और ऋण										
43.01 कमजोर वर्ग की सहकारी	2425	0.05	...	0.05	...	...	...	...	...	...
समिति को सहायता	3601	0.20	...	0.20	...	...	...	...	...	...
	3602	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
	7601	0.35	...	0.35	...	...	...	...	...	...
	7602	0.08	...	0.08	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*0.70*	*...*	*0.70*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
43.02 अन्य कार्यक्रम	3601	0.21	...	0.21	0.15	...	0.15	...	...	...
	2425	1.77	...	1.77	1.11	...	1.11	1.23	...	1.23
	3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	...	...	...
	7601	0.48	...	0.48	0.17	...	0.17	...	...	...
	7602	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	...	...	...
	4425	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*2.56*	*...*	*2.56*	*1.53*	*...*	*1.53*	*1.23*	*...*	*1.23*
जोड़-अन्य कार्यक्रम-सहकारिता और ऋण		**3.26**	**...**	**3.26**	**1.53**	**...**	**1.53**	**1.23**	**...**	**1.23**
जोड़-सहकारिता		***169.14***	***...***	***169.14***	***128.35***	***...***	***128.35***	***132.75***	***...***	***132.75***
44. कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के	2401	...	...	...	0.10	...	0.10	32.00	...	32.00
प्रयासों की वृद्धि/सराहना (वृहद् प्रबंधन)	2402	...	...	...	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
	3601	443.02	...	443.02	336.90	...	336.90	496.00	...	496.00
	3602	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
	7601	...	...	...	...	...	...	236.00	...	236.00
	7602	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	*448.02*	*...*	*448.02*	*342.00*	*...*	*342.00*	*774.00*	*...*	*774.00*
45. जलसंभरण विकास निधि हेतु नाबार्ड का अंशदान	2401	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	...	...	...
46. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए	2552	195.00	...	195.00	100.00	...	100.00	192.50	...	192.50
एकमुश्त प्रावधान	4552	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
	जोड़	*195.00*	*...*	*195.00*	*100.00*	*...*	*100.00*	*197.00*	*...*	*197.00*
कुल जोड़		***1965.00***	***97.97***	***2062.97***	***1692.00***	***128.81***	***1820.81***	***1985.00***	***123.36***	***2108.36***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
33.01 स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया	12401	...	...	...	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00
33.02 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	12425	...	...	...	52.51	...	52.51	53.00	...	53.00
33.03 भूमि विकास बैंक	12425	...	...	...	52.00	...	52.00	59.82	...	59.82
जोड़		**...**	**...**	**...**	**109.51**	**...**	**109.51**	**113.82**	**...**	**113.82**

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2000-2001 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	संशोधित 2000-2001 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट 2001-2002 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय आयोजना										
1. फसल कार्य	12401	1506.89	...	1506.89	1374.06	...	1374.06	1610.35	...	1610.35
2. अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	10.00	...	10.00	6.67	...	6.67	10.00	...	10.00
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	4.90	...	4.90	3.00	...	3.00	3.20	...	3.20
4. अन्य प्रशासनिक कार्य	32070	1.89	...	1.89	1.50	...	1.50	1.70	...	1.70
5. मृदा और जल संरक्षण	12402	62.18	...	62.18	63.42	...	63.42	15.00	...	15.00
6. सहकारिता	12425	169.14	...	169.14	128.35	...	128.35	132.75	...	132.75
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	195.00	...	195.00	100.00	...	100.00	197.00	...	197.00
	जोड़	*1950.00*	*...*	*1950.00*	*1677.00*	*...*	*1677.00*	*1970.00*	*...*	*1970.00*
राज्य आयोजना										
1. झूम कृषि का नियंत्रण	43601	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
जोड़		**1965.00**	**...**	**1965.00**	**1692.00**	**...**	**1692.00**	**1985.00**	**...**	**1985.00**

1. यह व्यवस्था कृषि और सहकारिता विभाग के सचिवालय, काउंसलर (कृषि) भारतीय दूतावास, रोम और तिलहनों और दालों से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन के मुख्यालय और कृषि विपणन निदेशालय के व्यय के लिए है ।

2. राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी), भारतीय राज्य फार्म निगम (एस.एफ.सी.आई.) और राज्य बीज निगमों (एस.एस.सी.) की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है

3. इसमें बीजों के प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं, राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, राज्य बीज प्रमाणीकरण संगठनों आदि को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को अनुदान देने आदि पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

4. अनाजों (चावल, गेंू और मोटे अनाज) के मिनिकिट कार्यक्रमों का उद्देश्य अद्यतन किस्म के बीजों को शीघ्रतापूर्वक लोकप्रिय बनाना और देश भर में किसानों के बीच नई उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार करना है।

5. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमाणित बीजों के प्रयोग, पावर फिल्लर/फव्वारों सहित सुधरे हुए कृषि के यंत्र, किसानों के खेतों में स्थल पर प्रदर्शन और किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से चुने गये राज्यों में चावल, गेँू और मोटे अनाज उत्पादन और इसकी उत्पादकता में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना है।

6. योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से मिशन-दृष्टिकोण आधार पर मक्के की उत्पादकता को बढ़ाना है।

7. केन्द्रीय भारत में गेहूं और दाल उत्पादन की नई योजना के लिए सांकेतिक व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मध्यप्रदेश के केन्द्रीय पठार और बुन्देलखण्ड क्षेत्र और राजस्थान के समतलों, पहाड़ियों और पठारी क्षेत्रों में निर्यात संभाव्यता रखने वाले गेहूं के धुरुम प्रकारों का उत्पादन करने के लिए शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

8. चालू वर्ष के दौरान जूट पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए नई योजना शुरु की गई है। एक वाणिज्यिक फसल होने के कारण इसकी कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन के अनुसार विकास, अनुसंधान, उत्पादन विपणन और उपयोग करने की आवश्यकता है।

9. यह व्यवस्था चावल निदेशालय और बाजरे के विकास कार्यक्रमों के लिए है ।

10. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दालों की खेती के अधीन फसल क्षेत्र में वृद्धि करके इनका उत्पादन बढ़ाना है। दालों की खेती के संबंध में अल्पावधिक पैकेज पद्धति, उपजाऊ बीजों का उत्पादन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरूआती प्रदर्शन आयोजित करना आदि इस प्रयोजन के लिए कार्यतंत्र हैं।

11. यह व्यवस्था जैव-उर्वरक के विकास और उपयोग, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ बनाने पर होने वाले व्यय के लिए है।

12. यह व्यवस्था एकीकृत कीट प्रबंधन और पौध संक्रामक रोग रोधन, कीट चेतावनी संगठन को सुदृढ़ करना सुविधाजनक बनाने और कीटनाशी अधिनियम का कार्यान्वयन आदि जैसे पौध संरक्षण उपायों से संबंधित व्यय के लिए है।

13. यह कार्यक्रम सभी मुख्य तिलहन फसलों यथा, मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम्ब, नाइजर, अरण्डी और अलसी को शामिल करता है। सभी मुख्य निविष्टियों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का पैटर्न 75 : 25 है। इसके अतिरिक्त, शुरुआती प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान (100%) दिया जाता है। मुख्य बल पद्धतियों के सुधरे हुए पैकेज, निविष्टि सहायता सेवा और प्रौद्योगिकी अंतरण आदि अपनाने के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जाता है।

14. तेलहन और वनस्पति तेल उद्योग के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय तेलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय तेलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड की सीमा में उत्पादन, प्रसंस्करण विपणन, प्रौद्योगिकी सुधार और अनुसंधान, अधिप्राप्ति, गोदाम सुविधा और संकट-रोधी स्टाक आदि के रख-रखाव सहित तेलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के सभी पहलू आते हैं।

15. यह व्यवस्था तिलहन और दालों में फसल पश्चात प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान और विकास के लिए है जिसमें मुख्य रूप से (क) तेल के आधुनिक कोल्हू (एक्सपैलर) का विकास करना और उसे लोकप्रिय बनाना तथा (ख) ताड़ के फलों के प्रसंस्करण के लिए प्रोटोटाइप विकसित करना, और (ग) फार्म स्तर आदि पर दालों का परिरक्षण और भंडारण करना शामिल है।

16. यह व्यवस्था वर्तमान गहन कपास विकास कार्यक्रम को जारी रखने तथा नवीन सिंचित क्षेत्रों और गैर-परम्परागत क्षेत्रों में उसके विस्तार के लिए है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को संकर बीजों के उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए शुरुआती प्रदर्शन आयोजित करने,एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई., को बीज उत्पादन और वितरण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है ।

17. इस कार्यक्रम में देशी और आयातित दोनों स्रोतों से बीज और पौधों की आपूर्ति, फसल उगाने के लिए किसानों को सहायता और तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना आदि के लिए सहायता शामिल है।

18. यह योजना पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में सक्षम जल प्रबंध के लिए है।

19. इस परियोजना का प्रयास देश में वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के विशाल भूभाग में पारिस्थितिक संतुलन की पुनःस्थापना और बायोमास के स्थायी उत्पादन के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यह परियोजना (i) प्राकृतिक निधियों जैसे भू-जल, पौधा, पशु और मानव संसाधनों के संरक्षण, कोटि बढ़ाने और उपयोग; (ii) रोजगार सृजन (iii) भूमि और पानी के वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध के जरिए उत्पादन पर्यावरण का सुधार; और (iv) सिंचित और वर्षा सिंचित क्षेत्रों के बीच असमानताओं को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। यह कार्यक्रम देश के उन सभी ब्लाकों के लिए है जिनके 30 प्रतिशत से कम कृषि क्षेत्र को सिंचाई के सुनिश्चित साधन मिल रहे हों।

20. यह व्यवस्था जलसंभर विकास परिषद जिसका गठन विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के निष्पादन के संपूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किया गया था, के लिए है। बचे निर्माण कार्य अभी भी जारी हैं।

21. यह व्यवस्था वाणिज्यिक फसलों के विकास कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी विभिन्न निदेशालयों पर होने वाला व्यय पूरा करने के लिए है।

22. बागवानी विकास कार्यक्रम में अनेक फसलें जैसे, फल, सब्जियां, पुष्पोत्पादन, मसाले, काजू, नारियल सुगन्धित खुम्भी आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फलदार वृक्षों को अच्छी किस्म की रोपण सामग्री और निवेश साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर, फसल कटाई पश्चात की प्रौद्योगिकी, विपणन का प्रदर्शन करके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। शीत भंडारण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए भी प्रावधान किया जा रहा है। इन फसलों की देखरेख के लिए दो निदेशालय (काजू और मसाला) और दो स्वायत्तशासी बोर्ड (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नारियल विकास बोर्ड) है। पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी फसलों के विकास के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

23. इस योजना के अन्तर्गत विस्तार और प्रशिक्षण सुविधाओं का आयोजन करने, उन्हें कार्यान्वित करने, और उनक मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें किसानों को समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, अनुदेशात्मक फिल्मों और प्रदर्शनियों आदि के जरिए उन्नत खेती की तकनीकों की जानकारी देना भी शामिल है।

24. फसल बीमा योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके प्रीमियम तथा दावों की 2:1 के अनुपात में सह-भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। सभी किसान जो चावल, गेहूं, बाजरे, तिलहन और दालों की फसल उगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से फसल ऋण प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

25. ऋणी और ऋणी-भिन्न किसानों को फसल बीमे की सुरक्षा का विस्तार करने तथा अतिरिक्त फसलों को बीमा सुरक्षा देने हेतु खरीफ की फसल 1999 से राष्ट्रीय कृषि स्कीम' क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

26. यह व्यवस्था चालू योजना-अवधि में की जा रही कृषि-गणना पर होने वाले व्यय के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रचालनात्मक कृषि जोतों के ढांचें और उनकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करना है, जो नीति-निर्माण के लिए जरूरी हैं ।

27. यह व्यवस्था मुख्यतः कृषि-आर्थिक आंकड़ो के संग्रह, संकलन और अनुरक्षण और योजना और नीति संबंधी निर्णयों के लिए कृषि आर्थिक आसूचना के आर्थिक विश्लेषण संकलन और प्रसार की योजनाओं के लिए हैं।

28. इसका संबंध फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों से है, जो प्रगतिशील कृषकों, तकनीशियनों तथा राज्य सरकारों, कृषि उद्योग निगमों, खेती संबंधी संस्थान और इंजीनियरी उद्यमकर्ताओं के नामित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देते हैं । ये संस्थान फार्म मशीनों के परीक्षण और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का भी कार्य करते हैं। "बिहार में कृषि मशीनीकरण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना " नामक नई स्कीम के लिए भी सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।

29. मूल्य-समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप संबंधी उपाय किसानों को लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए है। नैफेड ऐसे प्रचालनों को करने के लिए केंद्रीय नामोदिष्ट एजेंसी है। मूल्य समर्थन योजनाओं (दालें, तिलहन आदि) के लिए प्रचालन हानियों की पूर्णतः प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा "नैफेड " को की जाती है। बाजार हस्तक्षेप योजना (बागवानी फसलों) के लिए हानियों की भागीदारी केंद्र और राज्यों के बीच की जाती है।

30. यह प्रावधान भारतीय राज्य फार्म निगम को उसकी क्षमता तथा साथ ही वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए ऋण सहायता प्रदान करने हेतु है।

31. इस प्रावधान में खाद्य कृषि संगठन, और विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम के लिए अंशदान शामिल है। इस प्रावधान में विशेष जूट विकास कार्यक्रम, गन्ना विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा प्रबंध कार्यक्रम और छोटे किसानों, कृषि व्यापार परिसंघ (एस.एफ.एस.सी.) और एक नई स्कीम कृषि क्लिनिक/व्यापार केंद्र के नेटवर्क की स्थापना पर की जाने वाली व्यवस्था शामिल है।

32. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम के प्रशासन तथा क्रियान्वयन से सम्बन्धित व्यय के लिए है ।

33. इसमें कृषि विपणन जैसे गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार सर्वेक्षण और जांच के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें विपणन और निरीक्षण निदेशालय तथा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की सहायता के लिए भी प्रावधान शामिल है।

34. इस योजना के अंतर्गत प्रावधान में मृदा संरक्षण का उद्देश्य पेड़-पौधे उगाने के उपायों, बांधों का निर्माण करके, वन-रोपण करके, चरागाह विकास, गाद-अवरोधन बांधों, नियंत्रण बांधों का निर्माण करके, जल कृषि संरचना आदि के जरिए तलछट की दर कम करके जलाशयों की उपयोगिता को बढ़ाना है। यह योजना 41 नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, जिसके लिए इन्हें 50 प्रतिशत अनुदानों और 5 प्रतिशत ऋणों के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

35. यह व्यवस्था मुख्यतः अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए दामोदर घाटी निगम को अनुदान, मृदा के सर्वेक्षण के लिए दूरस्थ संवेदनशील प्रौद्योगिकी के प्रयोग और समस्या क्षेत्रों/मृदाओं का विकास के लिए है।

36. इसमें झूम खेती से संबद्ध राज्य आयोजना की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता शामिल है।

37. इन योजनाओं का बुनियादी उद्देश्य सहकारी समितियों के सदस्यों को शिक्षा देना और राज्यों के सहकारिता विभागों, सहकारी संस्थानों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है ताकि सदस्यों को सहकारी समितियों के लाभ के बारे में और सहकारिता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए जागरूक बनाया जा सके।

38. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का काम कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मुर्गी के दानों तथा अधिसूचित वस्तुओं के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, निर्यात और आयात के सहकारी कार्यक्रमों का संवर्धन करना है। इस व्यवस्था का प्रयोग सहकारी चीनी मिलों और सहकारी कताई मिलों के शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए भी किया जाता है।

39. भूमि विकास बैंक लघु सिंचाई, भूमि विकास, बागवानी खेती का यंत्रीकरण आदि जैसे विकासात्मक प्रयोजनों के लिए किसानों को दीर्घावधिक कृषि ऋण देने वाले प्रधान अभिकरण हैं। भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में निवेश से इन बैंकों के संसाधनों की अनुपूर्ति की जाती है, जिनके वित्त का मुख्य साधन बाजार में जारी किए जाने वाले ऋण-पत्र होते हैं।

40. राज्य सरकारों को अनुदान (75 प्रतिशत) और ऋणों (25 प्रतिशत) के रूप में सहायता दी जाती है ताकि वे अपने-अपने राज्य में शीर्ष सहकारी बैंकों के स्तर पर रखी जाने वाली कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि को सुदृढ़ बना सके। इसका उद्देश्य यह है कि बाढ़, सूखे आदि जैसी दैवी विपत्तियों के कारण जब किसान उधारों की वापसी-अदायगी करने में असमर्थ हो तब इन निधियों का उपयोग अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने के लिए किया जाए।

41. योजना का उद्देश्य कम विकसित राज्यों में चुने हुए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समतुल्य आधार पर सावधिक ऋण के रुप में सहायता देकर क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है ताकि वे नाबार्ड की अतिदेय-भिन्न कवच शर्तों का पालन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें।

42. एक सांकेतिक व्यवस्था रखी गई है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके सहकारी ऋण ढ़ांचे को पुनगर्ठित (दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक दोनों) करते हुए विशेष रूप से निचले स्तर अर्थात् प्राथमिक कृषि समितियों (पी.ए.सी.) को पुनर्जीवित करना है।

43. इस व्यवस्था में महिला/कमजोर वर्गों के लिए राज्यों को अनुदान और ऋण शामिल है। इसमें राष्ट्रीय सहकारी संघ को सहायता देने की व्यवस्था भी शामिल है।

44. अभी तक राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने/विषयवस्तु के अनुसार कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के लिए सहायता दी जाती थी। समझौता ज्ञापन आधार पर केन्द्र-प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को स्वतन्त्रता और लचीलापन प्रदान करने के लिए 27 चालू स्कीमों को एकीकृत करके "राज्य के प्रयास चिन्तन कार्य योजना की वृद्धि/सराहाना" नामक एक नई योजना तैयार की गई है। इसने वर्ष 2000-01 से प्रचालन प्रारंभ किया।

45. तीन वर्षों के भीतर 100 प्राथमिकता प्राप्त जिलों को सामिल करने के

लिए नाबार्ड के साथ जलसंभर विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) स्थापिक करना प्रस्तावित है। बोर्ड सरकार नाबार्ड, जिसने इस संबंध में 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं, को समतुल्य सहायता प्रदान करेगी।

46. इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के लाभार्थ योजनाओं/परियोजनाओं हेतु, प्रावधान है। 197.00 करोड़ रुपए का योजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	योजना का नाम	एन.ई.एस.के लिए चिह्नित राशि
1.	विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करना	0.33
2.	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण	0.50
3.	कृषि में मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण सहायता	0.73
4.	सूचना समर्थन/प्रबंधन सूचना प्रणाली	0.17
5.	कृषि मतैक्य	1.20
6.	कृषि की लागत के लिए विश्लेषक यूनिट सहित बुनियादी फसल की कृषि-लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना	0.70
7.	फसल सांख्यिकी का सुधार	0.05
8.	क्षेत्र के अनुमानों की समय से सूचना देना और बुनियादी फसलों का उत्पादन	0.15
9.	पशुधन मतैक्य करने में राज्यों को सहायता	0.60
10.	केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संग्रहण करने/रिपोर्ट करने के लिए एजेंसी की संस्थापना	0.10
11.	राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण केन्द्र	0.15
12.	एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई./एस.एस.सी. को बीजों पर परिवहन सब्सिडी	0.20
13.	बीज बैंक की संस्थापना और रख-रखाव	0.25
14.	जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग पर राष्ट्रीय परियोजना और प्रौद्योगिकी मिशन	0.60
15.	एकीकृत कीट प्रबंधन	1.50
16.	एफ.एम.टी.टी. को सुदृढ़ करना	0.52
17.	लघु किट कार्यक्रम	1.00
18.	फार्म पर जल प्रबधन	9.00
19.	संभावित राज्यों में ताड के तेल की खेती	0.15
20.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	1.50
21.	तिलहन उत्पाद कार्यक्रम	8.80
22.	राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम	3.10
23.	एन.ई.एस. हेतु प्रौद्योगिकी मिशन	38.00
24.	एन.ए.आई. के कार्यान्वयन हेतु साधारण बीमा निगम को भुगतान	38.79
25.	एस.एफ.ए.सी.	0.50
26.	एल.डी.वी. के डिबेंचरों में निवेश	5.00
27.	प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	0.16
28.	राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्	2.25
29.	चुनिदा जिलों में एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना	2.00
	28 विकसित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सहकारी विपणन प्रसंस्करण और सहकारी भंडारण कार्यक्रम हेतु सहायता	3.00
30.	कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/संवर्धन (वृहत प्रबंधन)	76.00
	जोड़	**197.00**